न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अंजु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 68/2024

<u>उनवान</u>

लक्ष्मीलाल सेवक पिता श्री शंकरलाल सेवक, जाति सेवक, निवासी ग्राम नवागांव, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थी

बनाम

1. नटवरलाल पिता श्री शंकरलाल सेवक, जाति सेवक, निवासी ग्राम नवागांव, तहसील गढी, जिला बांसवाडा।
2. बापुलाल पिता श्री शंकरलाल सेवक, जाति सेवक, निवासी ग्राम नवागांव, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा
3. तहसीदार गढी, जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक:05.9.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके ग्राम नवागांव, पटवार हल्का साकरिया, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेडा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा में स्थित है, जिसका खाता संख्या (नया) 312 (पुराना) 267 के सर्वे नम्बर 1864 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 2057 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 2058 रकबा 0.15 हे0, सर्वे नम्बर 2080 रकबा 0.09 हे0, सर्वे नम्बर 2085 रकबा 0.17 हे0, सर्वे नम्बर 2086 रकबा 0.13 हे0, सर्वे नम्बर 2088 रकबा 0.10 हे0, सर्वे नम्बर 2095 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 2105 रकबा 0.09 हे0, सर्वे नम्बर 2115 रकबा 0.10 हे0, सर्वे नम्बर 2163 रकबा 0.15 हे0, कुल खेत नंग 11, कुल रकबा 1.15 हे0 स्थित है एवं एक अन्य खाता संख्या 313 (नया) 268 (पुराना) के खेत सर्वे नम्बर 2079 रकबा 0.48 हे0 कुल खेत नंग 1, कुल रकबा 0.48 हे0 है। उक्त दोनो खातो की कृषि, भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है एवं उक्त दोनो खेतो के सर्वे नम्बर की भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की भूमि में शान्तिपूर्वक कृषि कार्य करते चले आ रहे है एवं मौके पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। उक्त दोनो खातो की कृषि भूमि क्रम संख्या 4 में प्रार्थी का नाम लक्ष्मीलाल की जगह लक्ष्मणलाल सेहवन से दर्ज हो गया है और यह राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर लिया गया है, जबकि उक्त दोनो खातो के खातेदार कृषक प्रार्थी ही होकर वास्तविक नाम लक्ष्मीलाल पिता शंकर, जाति सेवक निवासी नवागांव है। परन्तु सेहवन से लक्ष्मणलाल दर्ज कर लिया गया है, जिसकी शुद्धि हेतु प्रार्थी आप [illegible] पेश कर रहा है। प्रार्थी का समस्त राजस्व रिकॉर्ड व राजकीय रिकॉर्ड में लक्ष्मी[illegible] पि[illegible] शंकरलाल ही दर्ज रेकार्ड है, जिसके दस्तावेज इस प्रार्थना पत्र के [illegible] श्रीमति रूकमणी कि मृत्यु हो चुकी हैं। एंव वर्तमान में प्रतिवादी [illegible] है। उक्त दोनो खाते [illegible] का नाम लक्ष्मीलाल के स्थान पर लक्ष्मणलाल दर्ज होने से [illegible]र्थी को राजकीय व अर[illegible] कार्यो में बहुत परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान व ऋण प्राप्त करने इत्यादि में प्रार्थी को परेशानियों का सामना करना पड रहा है, चूंकि प्रार्थी का नाम खाते में अलग है व राजकीय दस्तावेजो में अलग है। इसलिए प्रार्थी का नाम उक्त दोनो खातो में लक्ष्मणलाल के स्थान पर सही व वास्तविक नाम लक्ष्मीलाल दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.12 15:31:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

किये जाने हेतु निवेदन है। इस आशय का राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कर अमल दरामद किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी को, उक्त तथ्यों की जानकारी अभी एक माह पूर्व जब प्रार्थी ने अपने खाते की उक्त भूमि के विकास हेतु ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी से उक्त सर्वे नम्बर की राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त की तो उसमें हल्कापटवारी ने बताया कि, तुम्हारा नाम लक्ष्मीलाल के स्थान पर लक्ष्मणलाल अंकित हो गया है, तुम्हे सक्षम न्यायालय में शुद्धि करने के लिये तथा तुम्हारे नाम दर्ज करने के लिये सक्षम न्यायालय में दावा करना पडेगा, इसलिए प्रार्थी ने नकल प्राप्त कर आप न्यायालय में यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है। यदि उक्त आशय की त्रुटि को सही नहीं किया गया तो प्रार्थी अपने सम्पत्ति के संवैधानिक अधिकारो से वंचित हो जायेंगे और उन्हे ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि वापके ग्राम नवागांव, पटवार हल्का साकरिया, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेडा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा में स्थित है, जिसका खाता संख्या (नया) 312 (पुराना) 267 के सर्वे नम्बर 1864 रकबा 0.06 हे., 2057 रकबा 0.08 है, 2058 रकबा 0.15 है. 2080 रकबा 0.09 है., 2085 रकबा 0.17 है., 2086 रकबा 0.13 है, 2088 रकबा 0.10 है., 2095 रकबा 0.03 है., 2105 रकबा 0.09 है., 2115 रकबा 0.10 है., 2163 रकबा 0.15 है, कुल खेत नंग 11, कुल रकबा 1.1500 हैक्टेयर स्थित है एवं एक अन्य खाता संख्या 313 नया, 268 पुराना के खेत सर्वे नम्बर 2079 रकबा 0.48 है, कुल खेत नंग 1, कुल रकबा 0.48 हे. है, में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश लक्ष्मणलाल अंकित किया गया है उसे निरस्त कर राजस्व रेकार्ड में शुद्धिकरण कर सही प्रविष्टि कर प्रार्थी का नाम लक्ष्मीलाल दर्ज करने के आदेश प्रदान कराने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री जितेन्द्र त्रिवेदी, अभिभाषक का वकालतनामा पेश होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि में दर्ज लक्ष्मणलाल के स्थान पर लक्ष्मीलाल किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नही होने के कथन किया गया। जिस पर बकुलाय द्वारा भी सहमती प्रकट की गई।

अतः तहसील गढ़ी के पटवार हल्का साकरिया के मौजा नवागांव के खाता संख्या 312 (नया) 267 (पुराना) तथा खाता संख्या 313 (नया) 268 (पुराना) में अंकित लक्ष्मणलाल के स्थान पर लक्ष्मीलाल बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक05.9.2024 को जारी किया गया।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.12 15:31:10 IST
Reason: SelfAttested